(1)

(2)

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / पंग्राविवि / पंचा. / 2014 / 1162 रायपुर दिनांक 12 / 09 / 2014

प्रति,

1. समस्त, कलेक्टर
   छत्तीसगढ़
2. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत–छत्तीसगढ़
3. समस्त, परियोजना निर्देशक
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
   छत्तीसगढ़

विषय :– मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका प्रेषित करने बाबत।

––00––

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत अनुभाग द्वारा वर्ष 2014–15 से कियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक विद्युतीकरण योजना की मार्गदर्शिका संलग्न प्रेषित है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दिये गये मानक प्राक्कलन की छायाप्रति जो आपको पत्र क्रमांक / पग्राविवि / पंचा. / 473 / 2014 / 981 दिनांक 03.06.2014 द्वारा प्रेषित की गई है। इसके अन्तर्गत जहां पूर्व में लाईन विद्यमान है वहां रूपये 43525.00 से 1,12,117.00 तक राशि व्यय होगी परंतु जहां सम्पूर्ण लम्बाई में नया कार्य किया जायेगा वहां प्रति कि.मी. राशि 255749.00 व्यय आयेगा।

योजनांतर्गत खम्बे एवं वायरिंग का व्यय योजना मद में उपलब्ध राशि से किया जायेगा किंतु लाईट फिटिंग तथा संधारण का व्यय मूलभूत की राशि से किया जाय।

5000 से 3000 जनसंख्या (घटते क्रम में) के चिन्हाकित 599 गांव की सूची संलग्न है आपके जिले के चिन्हाकित ग्रामों में से कार्यों की आवश्यकता का परीक्षण करते हुये प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को प्रेषित करें। यदि इन ग्रामों में आवश्यकता नहीं है तो मापदण्ड अनुसार अन्य ग्रामों के लिये प्रस्ताव भेजें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(एम0के0 राउत) 11/9
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक / पंग्राविवि / पंचा. / 2014 / 1163 रायपुर दिनांक 12 / 09 / 2014

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त, जिला अंकेक्षक पंचायत–छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव 11/9
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक विद्युतीकरण योजना

क्रियान्वयन मार्गदर्शिका

1. उद्देश्य :- ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखतें हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप गांव की गलियों में आंतरिक विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृत किये जायेगें।

2. वित्तीय स्त्रोत/अनुदान का वितरण :-

- ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य द्वारा शत-प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य शासन से अनुदान प्राप्त होने पर राशि का वितरण स्वीकृत कार्यो की लागत के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सीधे संबंधित ग्राम पंचायतों को आबंटित किया जायेगा, राशि का व्यय ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।

3. प्रस्तावित कार्य :-

01. (अ) एक कि.मी. लम्बाई की पूर्व से विद्यमान निम्नदाब लाईन में 3 फेस 4 वायर/ 1 फेस 2 वायर सड़क बत्ती हेतु एक तार का प्रावधान किये जाने पर।

(ब) एक कि.मी. लम्बाई के पूर्व से विद्यमान 1 फेस 2 वायर (केबल में) निम्नदाब लाईन में सड़क बत्ती हेतु 1फेस 3 वायर केबल का प्रावधान।

02. एक कि.मी. लम्बाई में पूर्ण विद्युतीकरण कार्य (केबल में) किया जाना,

4. योजना के प्रतिबंधित कार्य :-

- धार्मिक स्थलों/परिसर में निर्माण एवं संधारण कार्य।

- किसी व्यक्ति/संस्था या हितग्राही को लाभ संबंधी कार्य।

5. कार्य क्षेत्र :- यह योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जायेगी।

6. प्रशासकीय स्वीकृति :- प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जारी की जायेगी।

7. तकनीकी मार्गदर्शन :- प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व विधिवत् तकनीकी स्वीकृति सहित प्राक्कलन प्राप्त करने हेतु संबंधित जनपद पंचायत द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक कार्य के लिए तकनीकी मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा दिया जायेगा।

8. स्वीकृति की प्रक्रिया :- माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा, माननीय मंत्रियों की घोषणाएं, जनदर्शन कार्यक्रम, माननीय सांसदगण/विधायकगण, तथा पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधिगण की अनुशंसाओं के कार्य की महत्ता व राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात कार्यो की स्वीकृति दी जायेगी।

9. कार्यो की अनुशंसा एवं क्रियान्वयन :- कार्य योजना में प्रस्तावित कार्य के लिये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कार्यो के मानक प्राक्कलन अनुसार स्वीकृति दी जायेगी। उक्त कार्य व्यवस्थित तरीके से सम्पादित करने के लिये निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाती है :-

(अ) प्रथम प्राथमिकता- 5000 से 3000 या उससे अधिक आबादी के गांव।

(ब) दूसरी प्राथमिकता- 3000 से 1000 की आबादी के गांव।

(स) तीसरी प्राथमिकता- 1000 से कम आबादी के गांव।

उपरोक्त प्राथमिकताओं के अंदर निम्न बसाहटों को दृष्टिगत रखते हुये आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य किया जायेगा :-

01. अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य जनसंख्या वाली बसाहटें हो।

02. सार्वजनिक भवन/शाला भवन/औषधालय/पंचायत भवन वाली बसाहटें।

03. प्रत्येक कि.मी. गली की लम्बाई में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक हो।

10. **लाईट फिटिंग एवं संधारण का कार्य मूलभूत की राशि से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।**

11. **भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण :-** स्वीकृत कार्यो की भौतिक/वित्तीय प्रगति का प्रतिवदेन जिला पंचायत के माध्यम से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक संचालक पंचायत, संचालनलाय, छत्तीसगढ़ को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा। जिला पंचायत स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र संधारित किया जायेगा।

12. **अंकेक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण/पर्यवेक्षण :-**

- संबंधित पंचायत स्तर पर इसके लिए लेखा पृथक रूप से संधारित किया जायेगा।
- कार्यो के लिए व्यय की गई राशि का अंकेक्षण स्थानीय निधि लेखा परीक्षण विभाग एवं विभागीय अंकेक्षक द्वारा किया जायेगा।
- ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षक किया जायेगा। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत सुसंगत जानकारी उपलब्ध करायेगी।

अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी लेखाओं का परीक्षण किया जा सकेगा।

13. **कार्य प्रारंभ एवं पूर्णताः** :- विधिवत् तकनीकी एवं कार्यो की स्वीकृति उपरांत 01 माह (30 दिवस) के भीतर प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात कार्य प्रारंभ होना आवश्यक होगा तथा 03 माह से 06 माह के भीतर पूर्ण कराने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की होगी।

14. **मूल्यांकन एवं पूर्णता प्रमाण पत्र** :- योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यो का प्रत्येक स्तर पर सहायक अभियंता/उप अभियंता/सक्षम अधिकारी द्वारा मूल्यांकन एवं सत्यापन किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित कियान्वयन एजेंसी द्वारा जारी किया जायेगा, जो जिला पंचायत स्तर पर संधारित किया जायेगा। पर्यवेक्षण/अनुश्रवण का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का होगा।

---00---